न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (चतुर्थ), जयपुर

पीठासीन अधिकारीः– शंकर लाल सैनी, RAS

लावारिस प्रार्थना पत्र संख्या : 37/2009

सरकार जरिये तहसीलदार, जयपुर।

प्रार्थी,

बनाम

1. द्वारका प्रसाद पुत्र श्री हरिनारायण, जाति–महाजन, निवासी–म.नं. 3526, मोदी भवन, कल्याण जी के मंदिर के पास, कल्याण जी का रास्ता, चांदपोल बाजार, जयपुर। (फौत)
   - 1/1. श्यामबाबू पुत्र स्व0 श्री द्वारका प्रसाद, जाति–महाजन, निवासी–म.नं. डी–63, संवाई माधोसिंह रोड, बनीपार्क, जयपुर।
   - 1/2. मनोहरलाल पुत्र स्व0 श्री द्वारका प्रसाद, जाति–महाजन, निवासी–म.नं. बी–227, विद्याधरनगर, मंदिर गोड, जयपुर।
   - 1/3. नंदकिशोर पुत्र स्व0 श्री द्वारका प्रसाद, जाति–महाजन, निवासी–उनियारों का रास्ता, खाटू हाउस, जयपुर।
   - 1/4. चादं बिहारी पुत्र स्व0 श्री द्वारका प्रसाद, जाति–महाजन, निवासी–म.नं. 3526, मोदी भवन, कल्याण जी के मंदिर के पास, कल्याण जी का रास्ता, चांदपोल बाजार, जयपुर।

उज्रदारान,

उपस्थितः–

1. पेरोकार सरकार उपस्थित।
2. श्री मनीष पारीक, अभिभाषक, उज्रदारान की ओर से।

निर्णय

दिनांक : 27.12.2021

प्रकरण का संक्षेप विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 19.02.1990 को मगल चंद पुत्र गंजानद, बद्रीनारायण शर्मा, गीता देवी निवासी–नीदंड राव जी का रास्ता, चांदपोल बाजार, जयपुर द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि म.नं. 3379 जो श्री जगन जी मोदी का था एवं उसकी मालिक श्रीमती दाखा देवी पत्नी श्री दामोदर जी पलसानी, निवासी–नि.2395, कावरियों का खुर्रा, रामगंज बाजार, जयपुर थी। दाखा देवी स्व0 जगन मोदी की बेटी थीं। जगन मोदी के हिस्से में वादग्रस्त संपति म.नं. 3379 के 6 कमरे दाखा देवी को मिले थे और उन कमरों में 4–5 किरायदार रहते थे। किरायदारों द्वारा उनका किराया दाखा देवी को दिया जाता था। दाखा देवी का देहान्त दिनांक 16.10.1989 को हो गया है। किशना देवी नाम की एक महिला दाखा देवी की दोहिती बताती है, परन्तु दाखा देवी द्वारा अपने जीवनकाल में यह कथन किया था कि उसके द्वारा मकान का वसियतनामा दउदयाल शर्मा उर्फ हरिशचन्द्र शर्मा की पत्नी के नाम से कर दिया है। जबकि द्वारका प्रसाद पुत्र हरिनारायण मोदी, निवासी–कल्याण जी का रास्ता, मोदी भवन अपने आप को इस मकान का मकान मालिक बताता है। उज्रदार द्वारका प्रसाद का कथन है कि स्व0 दाखा देवी उसकी बुआजी थी और इसलिए वादग्रस्त संपति पर उसका अधिकार है। दाखा देवी की मृत्यु के पश्चात् कई व्यक्ति जैसे श्रीमती किशना, श्री द्वारका प्रसाद आदि मकान मालिक बनने लगे है। अतः प्रकरण की सही जांच करवाई जावें।

उक्त प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कराया जा कर तहसीलदार, जयपुर से रिपोर्ट ली गई तथा उज्रदारान को नोटिस जारी कर तलब किया गया।

न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (चतुर्थ) जयपुर जिला–जयपुर (राज.) सत्यमेव जयते

हमनें उभयपक्ष की बहस सुनी।

विद्वान् अधिवक्ता उज्रदारान द्वारा लिखित बहस में अंकित कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि म.नं. 3379, नीदंड राव जी का रास्ता, चांदपोल बाजार, जयपुर के संबंध में एक मिथ्या व आधारहीन रिपोर्ट तहसीलदार, जयपुर के यहां कार्यरत तत्कालीन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, मंगलचंद शर्मा व इसके साथी बद्रीनारायण व गीता देवी द्वारा मार्च, 1990 में किराया अदायगी को लेकर हुए विवाद के कारण रंजीशवश आधारहीन व मिथ्या तथ्य अंकित करते हुए वादग्रस्त संपत्ति का कोई मकान मालिक नही होने का प्रार्थना पत्र पेश किया गया था। उज्रदार द्वारका प्रसाद दिनांक 17.06.2002 को न्यायालय में उपस्थित हुए थे तथा दिनांक 23.07.2003 को जवाब मय साक्ष्य दस्तावेज पेश किये गये थे। वादग्रस्त संपत्ति के दो अन्य हिस्सेदारान और होने तथा उज्रदार को विवादित मकान का हिस्सा उज्रदार के दादा स्व0 श्री जगनलाल व स्व0 श्री मगनलाल से प्राप्त हुआ था। इस प्रकार यह मकान उनके पूर्वजों की संपत्ति है। वादग्रस्त संपत्ति के अन्य हिस्सेदार लक्ष्मीनारायण मोदी व मृतक भीमराज मोदी के वारिसान द्वारा भी मकान में उनका हिस्सा होना बताया तथा दस्तावेजी सबूत पेश कर दिये गये है, जो पत्रावली के रिकार्ड पर है। जगनलाल एवं मगनलाल दोनों सगे भाई थे। जगनलाल की एक पुत्री दाखा देवी व मगनलाल का एक पुत्र हरिनारायण थे। दाखा देवी नाऔलाद फौत होने के कारण व हरिनारायण के द्वारका प्रसाद एक पुत्र व एक पुत्री प्रेम देवी हुई। मृतक जगनलाल की वारिस दाखा देवी उज्रदार द्वारका प्रसाद की बुआ थी। जिसका स्वर्गवास हो जाने के कारण जगनलाल व मगनलाल का एकमात्र वारिस व मकान लक्ष्मीनारायण व भीमराज मोदी का भी शामिलाती मकान हुआ। नगर परिषद् जयपुर हाल नगर निगम जयपुर के द्वारा तत्कालीन समय में जारी की गई गृह कर की रसीदें, सर्वे रिपोर्ट आदिं के आधार पर वादग्रस्त संपत्ति लावारिस संपत्ति नही है, बल्कि उज्रदारान के पूर्वजों की संपत्ति है। शिकायतकर्तागण द्वारा जो शिकायत की गई है ना तो उनके द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश किये गये है ना ही कोई बयान आदि पेश किये गये है ना ही कोई शपथ पत्र पेश किया गया है। शिकायतकर्तागण द्वारा केवल मात्र मकान मालिका को किराया नही देने व मकान मालिक को हैरान व परेशान करने की बदनियती के आधार पर आधारहीन शिकायत कर वादग्रस्त संपत्ति को विवादित बना दिया गया। वर्तमान में शिकायतकर्ता भी वादग्रस्त संपत्ति में निवास नही करते है। वादग्रस्त संपत्ति स्व0 द्वारका प्रसाद, लक्ष्मीनारायण, राकेश व मुकेश पुत्रान् भीमराज की संयुक्त शामलाती संपत्ति है। वादग्रस्त संपत्ति किसी भी प्रकार से लावारिस संपत्ति नही है। अतः पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन कर वादग्रस्त संपत्ति म.नं. 3379, नरसिंह जी की गली, नीदंड राव का रास्ता, चांदपोल बाजार, जयपुर को लावारिस कार्यवाही से मुक्त करने के आदेश प्रदान किये जावें। उज्रदारान द्वारा प्रकरण के संबंध में निम्नलिखित साक्ष्यों एव दस्तावेजों की प्रतियां पेश की गई है।

1. पर्चा तस्दीक हकीयत मकान संपूर्ण पत्रावली मय कुर्सीनामा।
2. सिटी सर्वेयर रिपोर्ट संवत् 2000
3. नक्शा शीट।
4. म्यूनिंसिपल कोसिंल जयपुर (एसेसमेंट सूची) चौकडी तोपखाना 53–54
5. रजिस्टर गृह कर वर्ष 1982–83
6. गृह कर निर्धारण सूची वर्ष 2001–02
7. नकल खसरा पैमायश आवादी शहर, जयपुर संवत् 1925 की उर्दू प्रति।
8. नकल खसरा पैमायश आबादी शहर, जयपुर संवत् 1925 की हिन्दी अनुवाद की प्रति।
9. पानी का बिल श्रीमती चंदा माह मई दिनांक 12.05.1981
10. पानी का बिल श्रीमती चंदा दिनांक 12.09.1980
11. पानी का बिल श्रीमती चंदा दिनांक 12.11.1980
12. पानी का बिल श्रीमती चंदा दिनांक 12.01.1981

न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (द्वितीय) जयपुर जिला–जयपुर (राज.) सत्यमेव जयते

13. पानी का बिल श्रीमती चंदा दिनांक 12.03.1981

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। दौराने बहस पेरोकार सरकार ने कथन किया कि शिकायतकर्ता द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर प्रकरण की जांच करवाई गई तथा तत्कालीन उज्रदारों द्वारा वादग्रस्त संपत्ति के संबंध में तहसीलदार, जयपुर के समक्ष अपने–अपने साक्ष्य प्रस्तुत किये गये थे, जिसके संबंध में तहसील, जयपुर की पत्रावली में दिनांक 04.01.2001 को तहसीलदार, जयपुर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं साक्ष्यों के आधार पर किसी भी हिस्सेदार द्वारा विवादित संपत्ति को अपने हिस्से की संपत्ति का मालिक सिद्ध करने में कामयाब नही होने पर विवादित संपत्ति को लावारिस संपत्ति घोषित करने की रिपोर्ट प्रेषित की गई थी। उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने पर इस न्यायालय द्वारा दिनांक 28.07.2001 को विवादित संपत्ति के संबंध में धारा 06 का नोटिस जारी किया गया था। उक्त नोटिस जारी होने पर उज्रदार द्वारका प्रसाद व अन्य उपस्थित हुए थे। प्रकरण में पुनः तहसीलदार, जयपुर से विस्तृत जांच कराकर जांच रिपोर्ट प्राप्त की गई। जांच रिपोर्ट अनुसार वादग्रस्त संपत्ति म.नं. 3379 नरसिंह जी की गली, नीदंड राव जी का रास्ता, चांदपोल बाजार, जयपुर के संबंध में पटवारी हल्का रामपुरा रूपा से जांच करवाई गई। जांच रिपोर्ट अनुसार वादग्रस्त संपत्ति मौके पर जीर्ण–शीर्ण अवस्था में है एवं वर्तमान में रहने योग्य नही है। मुताबिक बयान, गवाहान एवं उज्रदारान द्वारा वादग्रस्त संपत्ति पर उनके पूर्वजों का ही कब्जा था, पूर्वजों का स्वर्गवास हो गया है। तहसीलदार, जयपुर की रिपोर्ट अनुसार वादग्रस्त भूमि उज्रदारान के ही पूर्वजों की संपत्ति है।

हमनें उभयपक्ष की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया। दिनांक 19.02.1990 को मगल चंद पुत्र गंजानद, वद्रीनारायण शर्मा, गीता देवी निवासी–नीदंड राव जी का रास्ता, चांदपोल बाजार, जयपुर द्वारा वादग्रस्त संपत्ति के संबंध में किराया राशि देने का विवाद उत्पन्न होने पर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया था कि म.नं. 3379 जो श्री जगन जी मोदी का था एवं उसकी मालिक श्रीमती दाखा देवी पत्नी श्री दामोदर जी पलसानी, निवासी–नि.2395, कावरियों का खुर्रा, रामगंज़ बाजार, जयपुर थी। दाखा देवी स्व0 जगन मोदी की बेटी थी। जगन मोदी के हिस्से में वादग्रस्त संपत्ति म.नं. 3379 के 6 कमरे दाखा देवी को मिले थे और उन कमरों में 4–5 किरायदार रहते थे। किरायदारों द्वारा उनका किराया दाखा देवी को दिया जाता था। दाखा देवी का देहान्त दिनांक 16.10.1989 को हो गया है। अतः वादग्रस्त संपत्ति की जांच कराकर मकान मालिक को किरायदारों से किराया दिलवाया जावें तथा अनाधिकृत व्यक्तियों द्वारा पुराने किरायेदारों को दिये जा रहे कष्ट व धमकियों से मुक्ति दिलाई जावें। उक्त प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर प्रकरण में तहसीलदार, जयपुर द्वारा जांच कर अपने निर्णय दिनांक 04.01.2001 में वादग्रस्त संपत्ति के संबंध में किसी भी हिस्सेदार द्वारा अपने हिस्से की संपत्ति का मालिक सिद्ध नही करने के कारण विवादित संपत्ति को लावारिस घोषित करने का निर्णय पारित करते हुए पत्रावली न्यायालय को प्रेषित की गई है। उक्त पत्रावली प्राप्त होने पर न्यायालय द्वारा धारा 06 का नोटिस प्रेषित किया गया। नोटिस जारी करने पर उज्रदारान न्यायालय में उपस्थित हुए तथा वादग्रस्त संपत्ति के संबंध में साक्ष्य एवं सबूत प्रस्तुत किये गये। साक्ष्यों में प्रस्तुत कुर्सीनामा दिनांक 14.06.1947 के अनुसार छोटीलाल के वारिसान का कुर्सीनामा प्रस्तुत किया गया है। जिसमें जगनलाल व मगनलाल का नाम अंकित है। वर्तमान में उज्रदारान द्वारा प्रस्तुत सजरा खानदान के अनुसार जगनलाल की पुत्री दाखा देवी थी तथा मगनलाल के पुत्र हरिनारायण थे। हरिनारायण की पुत्री प्रेमदेवी एवं द्वारका प्रसाद थी। प्रकरण में तहसीलदार, जयपुर से जांच कराई गई तहसीलदार, जयपुर द्वारा वादग्रस्त भूमि के वर्तमान वारिसान से बयान लेकर बयानों की मूल प्रतियां प्रेषित की गई है। बयानकर्तागण द्वारा वादग्रस्त भूमि को उनके पूर्वजों की भूमि होना बताया है तथा वादग्रस्त भूमि उन्हें विरासत में प्राप्त होना बताया है। बयानकर्तागण द्वारा वादग्रस्त भूमि को लावारिस भूमि नही होकर उनकी पैतृक संपत्ति होना बताया है। हमारे द्वारा उज्रदारान द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों एवं सबूतों का विस्तृत अवलोकन एवं परिक्षण किया

गया। वादग्रस्त संपत्ति के किरायेदारों द्वारा किराया राशि भुगतान के संबंध में विवाद होने पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। प्रार्थना पत्र में केवल यह अंकित किया गया था कि मृतक दाखा देवी का वादग्रस्त संपत्ति में 6 कमरों का हिस्सा था जिसका किराया किसे दिया जावें इस पर विवाद था। वादग्रस्त संपत्ति दो मंजिला संपत्ति थी, जिस पर उज्रदारान एवं उनके अन्य भाई–बंधों को विरासत में संपत्ति प्राप्त हुई थी। दो एक ही खानदान की 2 मंजिला संपत्ति में से श्रीमती दाखा देवी के हिस्से में आयी संपत्ति के 6 कमरों को लावारिस नही माना जा सकता, क्योंकि 6 कमरों की वादग्रस्त संपत्ति पैतृक संपत्ति के रूप में दाखा देवी को प्राप्त हुई थी। इस न्यायालय स्तर पर यह कोई विवाद नही है कि वाद्रगस्त संपत्ति के कौन–कौन वारिस है और उनका कितना–कितना हिस्सा है ना ही इस संबंध में निर्णय करने का अधिकार इस न्यायालय को है। हस्तगत प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा केवल इस बात पर निर्णय किया जाना है कि वादग्रस्त संपत्ति लावारिस है अथवा नही। यदि किसी संपत्ति के मालिक की मृत्यु हो जाती है तो हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 में वर्णित प्रावधानो अनुसार वारिसान की श्रेणी निर्धारित है तथा निर्धारित श्रेणी अनुसार घोषित वारिसान संपत्ति का स्वतः ही मालिक रहेगा। उज्रदारान द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार संपूर्ण वंशावली में वारिसान की सूची अंकित है। यदि दाखा देवी नाऔलाद फौत हुई थी तो हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के अनुसार वंशावली के अन्य वारिसान नियमानुसार वादग्रस्त संपत्ति के मालिक घोषित किये जावेगें। उज्रदारान द्वारा अपने लिखित बहस के साथ प्रमाणित कुर्सीनामा एवं दस्तावेज प्रेषित किये गये है जिनके अनुसार वादग्रस्त संपत्ति लावारिस संपत्ति नही है।

अतः उक्त विवेचनानुसार प्रार्थीगण मंगल पुत्र गंजानन्द व अन्य द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आधारहीन एवं औचित्यहीन होने तथा उनके प्रार्थना पत्र के साथ वादग्रस्त संपत्ति लावारिस होने के संबंध में कोई प्रमाणित दस्तावेजी साक्ष्य एवं सबूत पेश नही करने के कारण प्रार्थीगणों द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 27.12.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (चतुर्थ) जयपुर जिला–जयपुर (राज.) सत्यमेव जयते

(शंकर लाल सैनी)
अतिरिक्त कलक्टर (चतुर्थ)
जयपुर